सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

मानीय प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक दिनाँक 09 जुलाई, 2021 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक दिनाँक 09 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 आर0 के0 मित्तल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक	सदस्य
3.	डा0 के0के0 सिंह, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
5.	श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
6.	श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
7.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक, कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	डा0 राजेश कुमार, उप–निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
12.	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक महोदया द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद में सदस्य के रूप में

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक के पुनः नामित होने तथा श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री के रूप में प्रथम बार सदस्या के रूप में नामित होने पर मा0 कुलपति जी द्वारा पुष्प भेंट करते हुए स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 46.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनाँक 27 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 46.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनाँक 27 फरवरी, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ मा0 सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किये:–

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगरकेन की पैदावार के दृष्टिगत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन College of Sugarcane की स्थापना के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन को पुनः पत्र प्रेषित करने हेतु कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास किये जा रहे है। मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 22 जून, 2021 को मा0 राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 द्वारा विश्वविद्यालय की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बन्धित शैक्षणिक एवं अन्य जानकारियों से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–45.5 पर उल्लेखित प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान, कन्टीजैन्सी, उपकार एवं आर0के0वी0वाई0 परियोजनान्तर्गत निर्गत किए जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत संदर्भित धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 शासन के संदर्भित निर्गत होने वाले शासनादेशों में इंगित नियमों के सदंर्भ में कोषागार से अग्रिम आहरित कराने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मा0 प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर दिनांक 05 जुलाई, 2021 को मा0 राज्यपाल महोदया के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी इस प्रकरण पर अवगत कराया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक / कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 46.3 : वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को गैर वेतन की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिसंचलन द्वारा (By Circulation) प्रस्ताव।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 13/2021/750 /67–कृशिअ–21–1500(5)/19 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग के सी0ए0एस0 एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ए0सी0पी0 के देय एरियर हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मानक मद–31–सहायता अनुदान

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. K.K. Mittal
Vice-Chancellor

सामान्य (वेतन) में रू0 450.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 9/2021/539/67– कृशिअ–21–400 (30)/2011 दिनांक 12 मार्च, 2021 के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज/अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित रू0 100.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

उपर्युक्त दोनों शासनादेशों के बिन्दु संख्या–1 पर अंकित था कि प्रश्नगत धनराशि के व्यय की पूर्वानुमति विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद से अवश्य लिये जाने एवं प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किये जाने के सम्बन्ध में इंगित किया गया था। चूंकि उपरोक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ही किया जाना था तथा उपरोक्त से संदर्भित बिलों का पारण कराने हेतु कोषागार में भेजने से पूर्व मण्डलायुक्त महादेय को प्रतिहस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अतः प्रस्ताव पर परिसंचलन द्वारा (By Circulation) अनुमोदन मा0 सदस्यों से प्राप्त किया गया था, जिसपर मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

प्रस्ताव संख्या–46.4: वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को गैर वेतन की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिसंचलन द्वारा (By Circulation) प्रस्ताव।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 18/2021/793/67–कृशिअ–21–1500(5)/19 टी0सी0 दिनांक 26 मार्च, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन में रू0 18.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 पर धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।

चूंकि उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ही किया जाना था तथा उपरोक्त से संदर्भित बिल का पारण कराने हेतु कोषागार में भेजने से पूर्व मण्डलायुक्त महादेय को प्रतिहस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, प्रस्ताव पर परिसंचलन द्वारा (By Circulation) अनुमोदन मा0 सदस्यों से प्राप्त किया गया था, जिसपर मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्याः 46.5– विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के लिए वर्ष 2008 में स्वीकृत रिक्त पदों एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 2002 एवं 2004 के अनुसार शिक्षणैत्तर श्रेणी (समूह–'ग') के रिक्त पदों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा गठित समिति की संस्तुति एवं माननीय कुलपति जी की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिये वर्ष 2008 में स्वीकृत रिक्त पदों एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश वर्ष 2002 एवं 2004 के अनुसार शिक्षणेत्तर श्रेणी (समूह–'ग') के रिक्त पदों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गयी हैः–

क्र0 सं0	रिक्त समूह–ग (गैर शैक्षणिक) रिक्त पदों का विवरण (कार्यात्मक आवश्यकतानुसार)	
	पदनाम एवं वेतनमान	**शैक्षिक योग्यता (कार्यात्मक आवश्यकतानुसार)**
1	स्टेनों रू0 5200–20200(2800) शासनादेश संख्या 166/67–कृशिअ–17–1500(11) दिनांक 28 मार्च, 2017	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। 2. हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 3. DOEACC/NIELIT द्वारा संचालित सी.सी.सी. पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यकम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यकम अवश्य उत्तीर्ण की हो।
2	सहायक लेखाकार रू0 5200–20200(2800) शासनादेश संख्या 38/2016/449/67–कृशि अ–16–1500(45)/14 दिनांक 30 जून, 2016	स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर का 'ओ' लेवल का डिप्लोमा की आर्हता धारी हों।
3	**फोटोग्राफर** *कैमरा मैन रू0 5200–20200(2800) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–665(VII)दस–51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013	इण्टरमीडिएट एवं छायाचित्र/चलचित्र में डिप्लोमा तथा सम्बन्धित क्षेत्र का 05 वर्ष का अनुभव DOEACC / NIELIT से CCC का प्रमाण–पत्र

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

4	पुस्तकालय सहायक रू0 5200—20200(1900) शासनादेश संख्या वे0आ0—2—665(VII)दस—51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013	इण्टरमीडिएट तथा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 06 माह का प्रमाण पत्र एवं DOEACC/NIELIT संस्था से 'CCC' लेवल का प्रमाण पत्र।
5	लैब टेक्नीशियन रू0 5200—20200(2400) शासनादेश संख्या वे0आ0—2—665(VII)दस—51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013	इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा लेवोरेटरी टैक्नीशियन का डिप्लोमा/सर्टीफीकेट (कम से कम एक वर्ष का) या विज्ञान/कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।
6	आडियो विजुवल टेक्नीशियन रू0 5200—20200(2400) शासनादेश संख्या वे0आ0—2—665(VII)दस—51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक
7	कम्प्यूटर आपेरटर ग्रेड—ए रू0 5200—20200(2400) शासनादेश संख्या 1045/67—कृशिअ—16—1500(3)/14 दिनांक 30 जनवरी, 2017	1. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इन्टमीडिएट या DOEACC / NIELIT से 'ओ' स्तर का प्रमाण—पत्र के साथ इन्टमीडिएट। 2. डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम.एस.आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न—भिन्न साफ्टवेयर पर अग्रेंजी एवं हिन्दी में डाटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान। 3. हिन्दी तथा अग्रेंजी में कम से कम क्रमशः 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
8	लैब असिटेंट रू0 5200—20200(1900) शासनादेश संख्या वे0आ0—2—665(VII)दस—51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013	इण्टरमीडिएट (विज्ञान) के साथ DOEACC/ NIELIT से 'CCC' का कम्प्यूटर प्रमाण—पत्र।

'शासनादेश संख्या वे0आ0—2—665(VII)दस—51(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर को फोटोग्राफर संवर्ग में रखा जाये तथा आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर का पदनाम **फोटोग्राफर** रखा जाये।

समिति द्वारा शासनादेश संख्या 1045/67—कृशिअ—16—1500(3)/14 दिनांक 30 जनवरी, 2017 का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि कम्प्यूटर आपेरटर ग्रेड—बी, वेतनमान रू0 5200—20200(2800) के संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर आपेरटर ग्रेड—बी का पद कम्प्यूटर आपेरटर

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

ग्रेड–ए से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इसलिये उक्त पद पदोन्नति हेतु रिक्त रखा जायेगा।

उपरोक्तानुसार रिक्त समूह–ग (गैर शैक्षणिक) रिक्त पदों को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ को भेजे जाने के दृष्टिगत मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उ0प्र0 शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित की गयी शैक्षिक योग्यता पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव / निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्याः 46.6– **विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 79वीं बैठक दिनांक 03 जुलाई, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 79वीं बैठक दिनांक 03.07.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया। परंतु राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या ई–4229 / जी0एस0 दिनांक 02.07.2021 एवं उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327 / 67–कृशिअ–211099 / 26 / 2021 दिनांक 05.07.2021 में दिये गये निर्देशानुसार प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यू0जी0सी0–2018 रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड भर्ती प्रकिया सहित, आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं उपरोक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों के विज्ञापन क्रमशः विज्ञापन संख्या VI/2021, VII/2021, VIII/2021, IX/2021, X/2021 एवं XI/2021 को संशोधित किया गया था। उक्त

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T. M...

पर चर्चा एवं अनुमोदन हेतु विद्वत परिषद की 80वीं (विशेष) बैठक दिनांक 08.07.2021 को आहूत की गयी थी। उक्त विशेष बैठक का संशोधित कार्यवृत्त आगे प्रस्ताव संख्या–46.8 पर प्रस्तुत है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्याः 46.7– **डा0 योगेश प्रसाद, प्राध्यापक, उद्यान के निलंबन सम्बन्धी मा0 प्रबन्ध परिषद के आदेश हेतु प्रस्ताव।**

डा0 योगेश प्रसाद, प्राध्यापक, उद्यान के निलंबन के सम्बन्ध में बैठक में आमंत्रित कुलसचिव एवं मा0 कुलपति जी द्वारा प्रकरण पर विस्तृत रूप से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा एकमत रूप से डा0 योगेश प्रसाद, प्राध्यापक, उद्यान द्वारा किये जा रहे कृत्यों की निंदा व्यक्त की तथा उनके निलम्बन के आदेश/संस्तुति प्रदान किये। साथ ही मा0 कुलपति जी को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्याः 46.8– **विद्वत परिषद की 80वीं (विशेष) बैठक दिनांक 08 जुलाई, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 80वीं (विशेष) बैठक दिनांक 08 जुलाई, 2021 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन में पूर्व में प्राप्त आवेदकों से शुल्क सम्बन्धी जानकारी चाही गयी। जिसके सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया कि पुनः विज्ञापित होने वाले विज्ञापन से NAAS Rated Journals को हटा दिया गया है तथा विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय एवं पशुविज्ञान एवं पशुचिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक विज्ञापित पदों की अर्हतायें यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत एवं तकनीकी महाविद्यालय की अर्हतायें ए0आई0सी0टी0ई0 के गजट के अनुसार ही तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त पुनः उसी पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से पुनः शुल्क नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुनः विज्ञापित होने वाले विज्ञापन में इस सम्बन्ध में विवरण दिया गया है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव / निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्याः 46.9— **वित्तीय वर्ष 2021—22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को गैर वेतन / वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 26 / 2022 / 1648183 / 948 / 67—कृशिअ—21—1002(002) / 1 / 2021 दिनांक 07 जून, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—2022 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन के अन्तर्गत क्रम संख्या—08 पर रू0 2.91 लाख एवं क्रम सं0 09 पर रू0 75.00 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T. Meerut

है। उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 पर इंगित किया गया है कि **"धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।"**

उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 24/2021/1617933/ 67–कृशिअ–21–1002(002)/1/2021 दिनांक 04 मई, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वेतन मद के अन्तर्गत क्रम संख्या–08 पर स्वीकृत रू0 3456.38 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 1728.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–2 पर इंगित किया गया है कि **"धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।"**

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:–

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा कहा गया कि मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठकें समयान्तर्गत आयोजित की जाये। बैठकों का समयान्तर्गत आयोजित न होने के कारणों से मा0 सदस्यों को अवगत कराया जाये। इसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत बैठकों के आयोजन में देरी हुई। परंतु आगामी बैठकों को समयबद्ध कराने के प्रयास किये जायेगें। बैठकों के समयबद्ध आयोजित न होने की स्थिति में वित्त नियन्त्रक द्वारा पत्र के माध्यम से मा0 सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

2. श्रीमती सुमन त्यागी, मा0 सदस्या द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठकों विश्वविद्यालय परिसर से अन्यत्र स्थलों यथा अनुसंधान केन्द्रों अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भी आयोजित किए जाने की व्यवस्था की जाये। जिसपर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से समर्थन किया गया। जिसपर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि आगे प्रयास किया जायेगा।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

3. मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की कर्मचारी यूनियन द्वारा उनको सौंपे गये मांग–पत्र के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी के समक्ष उनकी मांगों को रखा। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण के भुगतान हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र भेजे जाने एवं इस पर त्वरित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया।

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वाहन चालकों को मानदेय (एक माह के मूल वेतन के समान) दिये जाने सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि कई केन्द्रों पर गाड़ी उपलब्ध नही होने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक को मानदेय (एक माह के मूल वेतन के समान) दिये जाने पर विचार सम्भव नही है। इसपर पुनः नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जायेगा।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/संयुक्त निदेशक प्रसार)

4. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा समय–समय पर आयोजित होने वाली विद्वत परिषद की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को अनुपस्थित रहने का कारण बताओ नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में कहा गया। इस सम्बन्ध में डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठकों में यह मुद्दा उठाया जा चुका है परंतु विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त करते हुए अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण पूछे जाने हेतु पत्र दिये जाने हेतु बैठक में आमंत्रित कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

5. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों से Presentation लिये जाने के सम्बन्ध में कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

6. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त केन्द्र पर वह कई बार भ्रमण पर गये। परंतु वहां पर कभी 1–2 कार्मिकों से अधिक कार्मिक नही मिलें तथा केन्द्र पर शिकायत डायरी भी रक्षित नही पायी गयी। साथ ही डा0 राजेश कुमार, उपनिदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा भी कृषि विज्ञान केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ के बारे में संज्ञान में लाया गया कि उक्त केन्द्र प्रायः बन्द ही पड़ा रहता है। जिसपर मा0 कुलपति महोदय ने आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के सम्बन्ध यह भी मुद्दा उठाया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उनके द्वारा गोद लिए गये गांवों की सूची की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाये।

इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। तथा मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक के दौरान मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों के साथ भिन्न–भिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण भी किया जायेगा।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/ निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

7. मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय के अन्य केन्द्रों पर "महिला अध्ययन केन्द्र" की स्थापना किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर एक पांच महिला वैज्ञानिकों की समिति तथा कुल 09 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर जहां महिला वैज्ञानिक कार्यरत है, उन केन्द्रों पर "महिला अध्ययन केन्द्र" पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मुख्यालय तथा 09 जिलों में एक–एक गांव भी कार्यक्रमों के लिए चिन्हित कर लिये गये हैं।

8. साथ ही मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय से कुल 55 प्रपत्रों पर विभिन्न प्रकार शैक्षणिक/वित्तीय/अनुसंधान इत्यादि से सम्बन्धित जानकारियां चाही गयी है। जिसपर विश्वविद्यालय प्रतिमाह रिपोर्ट राजभवन को प्रेषित की जा रही है।

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

अनुमोदित

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut